कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, अमरोहा

पत्रांकः– 48 / NOC/ 16 दिनांकः– 24.5.16

सेवा में,

ज़िलाधिकारी महोदय,
अमरोहा

विषयः– ग्राम निज़ामपुर शर्की तहसील हसनपुर जनपद अमरोहा के खसरा नं0 79 बदॉयू–बिल्सी–बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग–51) पर पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरादाबाद के कार्यालय का पत्रांक 2727 / 46 एम0–मु0क्षे0 / 13 दिनांक 18.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में ग्राम निज़ामपुर शर्की तहसील हसनपुरं जनपद अमरोहा के खसरा नं0 79 बदॉयू–बिल्सी–बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग–51) पर पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) का सम्पूर्ण केस अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है। कृपया अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– सम्पूर्ण केस मूल में।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
24/5/16 अमरोहा

कायालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक :- 2727 /46एम0-मु0क्षे0/13 दिनांक- 18-5-2016

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अमरोहा

विषय :- ग्राम निजामपुर शर्की तहसील हसनपुर जनपद अमरोहा के खसरा सं0-79 बदायूँ-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) पर पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक-1931/105काम-मु0वृ0/16 दिनांक 13.05.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के संदर्भित पत्र द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में जनपद अमरोहा में ग्राम निजामपुर शर्की तहसील हसनपुर जनपद अमरोहा के खसरा सं0-79 बदायूँ-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु मैसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड, को निम्न शर्तों के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

1- प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा।
2- निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
3- भू-स्वामित्व के आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4- शासनादेश अनुसार लाईसेंस फीस एवं प्रोसेसिंग फीस से सम्बन्धित वांछित धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अमरोहा के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।
5- प्रस्तावित निर्माण यदि विनियमित क्षेत्र, नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में आता है तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
6- प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुँच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत् अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा।
7- भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक सहमत होंगे।
8- प्रस्तावित निर्माण से सड़क यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
9- उपरोक्त प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लघंन किये जाने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रकरण अपने स्तर से जिलाधिकारी, अमरोहा को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :-1-साईट प्लान-1
2-अधी0अभि0, मु0वृत का पत्र सं0-1931/
105काम-मु0वृत/16 दिनांक 13-05-16
(छाया प्रति संलग्न)

18/5

(राजन मित्तल)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 13-05-16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद